न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 83/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– दांता।

प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स गोकुल डेयरी एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र, प्रो. चुन्नी लाल शेषमा पुत्र पेमा राम शेषमा,पताः– घाटवा रोड़, पोस्ट– दांता, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर। ऋणी

2. पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम, भगवाना राम पुत्र पेमा राम शेषमा, जगन सिंह पुत्र पेमा राम शेषमा, पताः– ग्राम पंचायत भवन के पीछे, केशव कॉलोनी, वार्ड नम्बर 29, गांव व पोस्ट– दांता, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर। जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 25 जनवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विनोद कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स गोकुल डेयरी एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र, प्रो. चुन्नी लाल शेषमा, पेमा राम शेषमा, भगवाना राम, जगन सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अचल सम्पत्तिः– (1) व्यावसायिक प्लॉट जो खसरा नम्बर 1277/3, 1276/2 जीणमाता रोड़, ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो भगवाना राम, जगन सिंह एवं चुन्नीलाल पुत्रगण पेमा राम शेषमा के नाम से हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 2170 वर्गगज है। (2) रहवासी सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 1277/1, 1277/2 और 1278/2 ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम के नाम से हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 1380 वर्गगज है,** को बंधक रखकर **40,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **चालीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.07.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री विनोद कुमार सरोज ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा जारी किया गया ऋण को दिनांक 28.06.2018 को राशि 40,17,237/– रूपये का बकाया दर्शाकर NPA किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त NPA किये जाने के पश्चात शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर उक्त खाते को पुनः पूर्ववत चालु किये जाने हेतु आश्वस्त किये जाने पर उक्त कार्यवाही ड्राप किये जाने का आश्वासन दिये जाने के पश्चात राशि जमा करायी गई है। बैंक स्टेटमेंन्ट के अनुसार भी खाता NPA होने के पश्चात रूपये जमा करवाये गये हैं।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.07.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स गोकुल डेयरी एवं दुग्ध अवशीतन केन्द्र, प्रो. चुन्नी लाल शेषमा**, पेमा राम शेषमा, भगवाना राम, जगन सिंह की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **अचल सम्पत्तिः– (1) व्यावसायिक प्लॉट जो खसरा नम्बर 1277/3, 1276/2 जीणमाता रोड़, ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो भगवाना राम, जगन सिंह एवं चुन्नीलाल पुत्रगण पेमा राम शेषमा के नाम से हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 2170 वर्गगज है। (2) रहवासी सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 1277/1, 1277/2 और 1278/2 ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम के नाम से हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 1380 वर्गगज है**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 25 **जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner